न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष
आर0के0 मिश्रा
सदस्य

निगरानी प्र0क0—R-1321/III/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 29/03/14
पारित द्वारा – अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा का प्रकरण
क्रमांक—948—अपील/ 2011—12

रजनीश शुक्ला तनय स्व0 उमाकान्त शुक्ला, निवासी फोर्ट रोड़ रीवा (म0प्र0) (मृतक)

अ— श्रीमती मोहनी शुक्ला पत्नी रजनीश शुक्ला
ब— श्रीमती मोनिका बाजपेयी
स— प्रियंका मिश्रा
द— नीलम शुक्ला

सभी के पिता रजनीश शुक्ला
सभी निवासी फोर्ट रोड़ रीवा
——— निगरानीकर्तागण/आवेदकगण

बनाम

1— मनदमोहन शुक्ला तनय स्व0 उमादत्त शुक्ला, उम्र 71 वर्ष
2— श्रीमती उर्मिला शुक्ला पत्नी स्व0 विश्वनाथ शुक्ला, उम्र 78 वर्ष
3— विनोद कुमार शुक्ला तनय स्व0 विश्वनाथ शुक्ला, उम्र 47 वर्ष
4— सुबोध शुक्ला तनय स्व0 विश्वनाथ शुक्ला, उम्र 44 वर्ष
5— प्रमोद शुक्ला स्व0 विश्वनाथ शुक्ला, उम्र 48 वर्ष
6— रमाबाई शुक्ला पत्नी स्व0 बालमुकुन्द शक्ला **(विलोपित)**
7— अनिल शुक्ला तनय स्व0 बालमुकुन्द शुक्ला
8— श्रीमती रमा शुक्ला पत्नी स्व0 गिरीराज शुक्ला
9— प्रदीप शुक्ला तनय स्व0 गिरीराज शुक्ला
10— दिलीप शुक्ला तनय स्व0 गिरीराज शुक्ला
11— सुशील शुक्ला तनय स्व0 गिरीराज शुक्ला

12— अशोक शुक्ला तनय स्व0 गिरीराज शुक्ला
सभी निवासी व्यंकट रोड़ रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

————गैरनिगरानीकर्तागण

(आवेदकगण द्वारा श्री शिव प्रसाद द्विवेदी अभिभाषक)
(अनावेदक क0—1 द्वारा श्री मनीष शर्मा अभिभाषक)
(अनावेदक क0—6 ता 12 द्वारा श्री रेवाशंकर अवस्थी अभिभाषक)

आदेश

(आज दिनांक 23/7/18 को पारित)

म0प्र0 भू राजस्व संहिता जिसे अत्रपश्चात् संक्षेप में संहिता लिखा जाएगा, की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण याचिका, रजनीश शुक्ला तनय स्व0 उमादत्त शुक्ला की तरफ से अपर कमिश्नर रीवा के प्रकरण क0—948/अपील/11—12 में आदेश दिनांक 29/03/2014 के विरूद्ध दायर की गई है, मामले के लम्बनकाल में निगरानीकर्ता का देहान्त हो जाने के बाद उनके वारिसान को पक्षकार बनाया गया है एवं अनावेदक क0—6 रमाबाई का देहान्त हो जाने एवं उसके विधिक वारिस पूर्व से ही पक्षकार होने से उनका नाम विलोपित किया गया ।

2— संक्षेप में मामले के तथ्य यह है कि मूल निगरानीकर्ता रजनीश शुकला ने नजूल तहसीलदार रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत किया था कि प्लाट नम्बर—1345, 1346, 1354/2, 1355, 1356, 1358 स्व0 उमादत्त के स्वत्व का था जिसका 4515 वर्गफिट हिस्से में उमादत्त ने दिया जिसके अंतर्गत मकान नं0—3/8 नया नम्बर—20/210 है, यह भी अभिवचन था कि लेख भी अपने सभी पुत्रो की सहमति से उन्होने दिनांक 26/06/69 को पारिवारिक व्यवस्थापन/बटवारा में उक्त रकवा आवेदक की हिस्से में देने वावत् लिखाया था । तदानुसार आवेदक के नाम नामांतरण प्रमाणित किया जाए । उक्त स्थिति को दर्शाने के लिए मौके का नजरी नक्शा भी परिमाप सहित दिया जिसमें सभी हिस्सेदारो के हिस्से, कब्जे का विवरण है । अनावेदक गिरिराज

प्रसाद ने आवेदन स्वीकार करने का जवाब दिया एवं अपने नाम भी नामांतरण क़रने का अनुरोध किया । अनावेदक रामबाई एवं अनिल शुक्ला ने भी आवेदन स्वीकार करने के बिन्दु पर सहमति दिया और बचे हुए शेष रकवा का शेष हिस्सेदारों के नाम बराबर अनुपात में नामांतरण किए जाने की प्रार्थना किया ।

3— अन्य अनावेदक की तरफ से मुख्य रूप से इस बिन्दु पर विरोध किया गया कि स्व0 उमादत्त के सभी वारिसान के नाम बराबर– बराबर अनुपात में नामांतरण होना चाहिए, फैमली सेटेलमेंट के आधार पर नामांतरण का प्रावधान नही है, और यह भी आपत्ति की गई कि जिस प्रकार नामांतरण चाहा गया है, उससे हिस्सेदारों के हिस्से में असमानता होगी, साथ ही अलग से आवेदन भी अनावेदक की तरफ से दिया गया कि मुताबिक वंशवृक्ष बराबर–बराबर नामांतरण प्रमाणित किया जाए ।

4— विचारण न्यायालय ने मौके की स्थिति, हिस्सा कब्जा के बिन्दु पर जो उभयपक्षों का अभिवचन है उसके संदर्भ में जॉच करके प्रतिवेदन देने के लिए राजस्व निरीक्षक नजूल (रीवा) को निर्देशित किया तदनुसार राजस्व निरीक्षक ने मौके में उभयपक्षों को सूचना दे करके जॉच किया, नाप करके हिस्सेदारों के हिस्सा, कब्जा के बिन्दु पर दिनांक 29/09/2010 को स्थल पंचनामा तैयार करके दिनांक 14/10/2010 को रिपोर्ट (प्रतिवेदन) प्रस्तुत किया ।

5— राजस्व निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन मौके नक्शा के अनुसार जो माप करके प्रतिवेदन दिया गया एवं हिस्सेदारों के हिस्सा कब्जा का विवरण दिया गया उस स्थिति व विवरण के संदर्भ में कोई भी सारवान आपत्ति व खण्डन साक्ष्य अनावेदक की तरफ से प्रस्तुत नही की गई, दोनो पक्षों की तरफ से लैखिक व मौखिक साक्ष्य उपरांत नजूल तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 29/01/2011 द्वारा आवेदन स्वीकार करके मुताबिक पंचनामा प्रतिवेदन नामांतरण प्रमाणित करने का आदेश दिया गया ।

6— उक्त आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी नजूल के समक्ष मदन मोहन शुक्ला एवं श्रीमती उर्मिला शुक्ला वगैरह (स्व0 विश्वनाथ शुक्ला के वारिसान) ने दायर किया जो कि उभयपक्षों की सुनवाई के उपरांत विस्तार से विवरण दे करके अपील दिनांक 31/03/2012 को निरस्त किया जिससे व्यथित होकर पुनः द्वितीय अपील संहिता की धारा 44(2) के अधीन अपर कमिश्नर रीवा के न्यायालय में उक्त मदन मोहन वगैरह ने दायर किया ।

7— अपर कमिश्नर रीवा ने उक्त अपील प्रकरण में सुनवाई उपरांत दोनो पक्षों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को इस संक्षिप्ततः बिन्दु पर दिनांक 29/03/2014 को निरस्त कर दिया कि असमान अंश का नामांतरण किया गया है और वारिसाना नामांतरण मृतक के सभी वारिसान के नाम बराबर–बराबर 1/5 हिस्सा प्रत्येक को दिया जाना चाहिए था, पक्षकार चाहे तो पृथक से अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन देकर नामांतरण करा सकते है ।

8— उक्त आदेश दिनांक 29/03/2014 से व्यथित होकर इस न्यायालय में निगरानी रजनीश शुक्ला के तरफ से दायर की गई है जिसमें अन्य के अतिरिक्त संक्षिप्तः बिन्दु यह वर्णित किए गए है कि दिनांक 26/06/1969 को जो पारिवारिक बटनवारा का उमादत्त ने व्यवस्था पत्र लिखाया था उसके अनुसार आवेदक का कब्जा दखल है । पारिवारिक बटनवारा में जो जमीन 4515 वर्गफिट जमीन जो आवेदक को मिली थी उसी अनुसार आवेदक का आज तक कब्जा है, तदानुसार पूर्व के पारिवारिक बटनवारा को इस आधार पर अस्वीकार नही किया जा सकता है कि हिस्सेदारों को असमान अंश है तदानुसार अपर कमिश्नर का आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

9— अनावेदक/गैरनिगरानीकर्तागण को तलब किया गया अनावेदक क0–2, 3, 4, 5 सूचना उपरांत उपस्थित नही हुये । अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख मगाये गये, उभयपक्षो के अधिवक्ताओं द्वारा लिखित तर्क पेश किये गये ।

10— निगरानीकर्ता की तरफ से तर्क में भी उक्त बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित किया गया और उच्च न्यायालय के **न्याय दृष्टान्त 1996 रा0नि0 पृष्ठ–33** के संदर्भ में ध्यान आकृष्ट किया गया जिसमें उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि पारिवारिक बटनवारा के अनुसार 12 वर्ष से अधिक समय से काविज होकर उपयोग, उपभोग करते है तो हिस्सेदारों के हिस्से कब्जे को मान्यता देना चाहिए उक्त न्याय दृष्टान्त पर आधारित होकर माननीय उच्च न्यायालय ने हिस्सेदारो का स्वत्व पारिवारिक व्यवस्था के आधार पर बटनवारा के रूप में मान्य करने का निर्णय दिया है ।

11— निगरानीकर्ता की तरफ से एक अन्य **न्याय दृष्टान्त 1989 रा0नि0 पृष्ठ 94** पर आधारित होकर इस वावत् ध्यान आकर्षित किया गया है और आवेदक के आक्षेप पर खण्डन किया गया है और बटनवारा व पारिवारिक व्यवस्था पारिवारिक सद्भाव पर आधारित होता है जिसे इस आधार पर अस्वीकार नही किया जा सकता है कि हिस्सेदारों को असमान्य अंश मिला है वैसे भी हिन्दू विधि अनुसार मौखिक बटवारा को भी मान्यता दी गई है, तदानुसार जो पूर्व के बटनवारा के तथ्य को ध्यान में रखकर नजूल तहसीलदार ने नामांतरण का आदेश पारित किया, उसे सही व विधि अनुसार होने का आधार वर्णित करते हुए अपर कमिश्नर के आदेश को निरस्त करने की भूल की गई है ।

12— अनावेदक क0–1 की तरफ से मुख्यतः यह तर्क दिया गया कि अपंजीकृत पारिवारिक व्यवस्था के आधार पर नामांतरण नही हो सकता, इस कारण आवेदन निरस्त करना चाहिए था, तदानुसार अपर आयुक्त का निर्णय सही है व **न्याय दृष्टान्त 1999 रा0नि0 पृष्ठ–80** के वावत् ध्यानाकर्षण किया गया । उक्त न्याय दृष्टान्त का अवलोकन किया गया, वास्तव में उसमें कण्डिका–4 में ऐसा निष्कर्ष दिया गया है कि "कौटुम्बिक व्यवस्था पत्र के आधार पर नामांतरण नही किया जा सकता, जब तक साबित नही कर दिया जाता, इस प्रकरण में उक्त दृष्टांत की न्यायिक व्यवस्था लागू नही होती है, क्योकि :–

अ— पक्षकारों का ऐसा कथन नहीं है कि वे सम्मिलित है अथवा कि उनका विभाजन नहीं है।

ब— आवेदक उसी व्यवस्था व बंटवारा के अनुसार अलग, आवेदित रकवा में काविज है, जो तथ्य राजस्व निरीक्षक नजूल के प्रतिवेदन, पंचनामा से भी साबित है ।

स— उक्त पारिवारिक व्यवस्था/बंटवारा के बिन्दु पर उसे प्रमाणित करने की साक्ष्य विचारण न्यायालय में आवेदक ने दिया है और उक्त आवेदित रकवा में आवेदक का कब्जा है, अर्थात मकान ही बना है।

12— एक अन्य न्याय दृष्टांत 2010(1) MPWN 104 (सुप्रीम कोर्ट) प्रस्तुत करके यह तर्क अनावेदक की तरफ से दिया गया कि सगी भाइयों को समान रूप से अश मिलना चाहिए । उक्त न्याय दृष्टांत की व्यवस्था इस मामले में इसलिए लागू नही होती क्योंति यदि बंटवारा न हुआ तो सभी भाइयों को बराबर हिस्सा बटवारा में मिलना चाहिए, किन्तु इस प्रकरण में स्व0 उमादत्त के द्वारा बटवारा किया गया था व 1969 के बंटवारा में रजनीश शुक्ला को जो हिस्सा में रकवा दिया गया उसमें उनका मकान व कब्जा है जिसे कि राजस्व न्यायालय द्वारा परिवर्तित करने या कि नये सिरे से अन्यथा कोई आदेश देने का औचित्य नहीं है, जैसा कि **न्याय दृष्टांत 1996 राजस्व निर्णय पृष्ठ—33 व 1989 राजस्व निर्णय पृष्ठ—94** में उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है।

उपरोक्तानुसार विवेचना के संबंध में यह स्पष्ट है कि अपर कमिश्नर ने उन सभी बिन्दुओं पर विचार करके निर्णय नहीं दिया गया है तदानुसार अपर कमिश्नर का आदेश दिनांक 29/03/2014 निरस्त किया जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है।

23/7/18

(आर0के0 मिश्रा)
सदस्य,
म0प्र0 राजस्व मण्डल